संख्या- 30 /2026/ 753 /001-53-2099-1405-2019

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 13-11-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-432/दुग्ध-5/नियो0/सू0त0 कम्प्यूटी0 पत्रा0/2026-27, दिनांक 02.11.2026 एवं पी0सी0डी0एफ0 के पत्र संख्या-795/डी-2/एमएसडी/पीसीडीएफ/सू0त0क0प्रस्ताव/2026-27, दिनांक 06.11.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 650.00 लाख (मूल बजट एवं अनुपूरक बजट सहित) के सापेक्ष पी0सी0डी0एफ0लि0 हेतु धनराशि रू0 538.15 लाख एवं दुग्ध आयुक्त कार्यालय हेतु धनराशि रू0 111.85 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू0 650.00 लाख (रूपये छः करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 650.00 लाख (मूल बजट एवं अनुपूरक बजट सहित) के सापेक्ष पी0सी0डी0एफ0लि0 हेतु रू0 538.15 लाख एवं दुग्ध आयुक्त कार्यालय हेतु रू0 111.85 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू0 650.00 लाख (रूपये छः करोड़ पचास लाख मात्र) निम्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल प्रस्तर-3 में उल्लिखित नियमों, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	मद	धनराशि(लाख में)
1	2	3
(अ) पी0सी0डी0एफ0लि0 हेतु:-		
1	आनलाईन डीपीएमसीयू मानीटरिंग साफ्टवेयर के टेक्नीकल सपोर्ट एवं पीसीडीएफ एवं 18 दुग्ध संघों में स्थापित कन्ट्रोल रूम हेतु लीज लाईन की व्यवस्था हेतु।(रू0 105 लाख+रू0 27.70 लाख)	132.70
2	विभागीय वेबसाईट्स के टेक्नीकल सपोर्ट एवं सिक्योरिटी आडिट एवं पेराल साफ्टवेयर हेतु।	3.00
3	ई-मेल व्यवस्था के टेक्नीकल सपोर्ट हेतु।	0.45
4	पीसीडीएफ मुख्यालय हेतु लीजलाईन एवं ब्राडबैंड व्यवस्था हेतु।	2.00
	योग	138.15
पी0सी0डी0एफ0लि0 हेतु (अनुपूरक बजट):-		
5	डेयरी प्लान्टस में ईआरपी सिस्टम की स्थापना।	240.292
6	पीसीडीएफ/दुग्ध संघों की परिसम्पत्तियों की जियो टैगिंग कराते हुए आनलाईन डीपीएमसीयू पोर्टल से इन्टीग्रेट कराये जाने हेतु।	100.00
7	डीपीएमसीयू को ऑनलाइन पोर्टल से इण्टीग्रेट कराये जाने हेतु लाईनेक्स बेस्ड सर्वर की व्यवस्था हेतु।	59.708
	योग	400.00
	कुल योग	538.15
(ब) दुग्ध आयुक्त,कार्यालय हेतु:-		
1	जनपदीय एवं मण्डलीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर, सहवर्ती उपकरणों,साफ्टवेयर/एप्लीकेशन प्रणाली,डाटा सपोर्ट सिस्टम आदि के क्रय हेतु।	108.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	मा० मुख्यमंत्री डैशबोर्ड 'दर्पण' से इन्टीग्रेट जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत दुग्ध समितियों के रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित पोर्टल के नवीनीकरण/अपडेशन वार्षिक अनुरक्षण,होस्टिंग, सिक्योरिटी आडिट, टेक्निकल सपोर्ट आदि कार्यों हेतु।	3.85
	योग	111.85
	महायोग(अ+ब)	650.00

3- नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रस्तावित कार्यो/मदों हेतु उक्त तालिका के कालम-2 के अनुसार अनुमन्य है, उसी प्रयोजन में धनराशि व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो अपने संसाधन से वहन किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु है। जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/ सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

(4) स्वीकृति की जा रही धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाये तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए दुग्ध आयुक्त स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिससे ब्याज अर्जित होता है, तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त का होगा ।

(6) धनराशि का आहरण करने तथा स्वीकृत धनराशि निर्धारित प्रायोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का दायित्व दुग्ध आयुक्त का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि से मशीनरी/उपकरणों आदि का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के संगत शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुसरण करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण तथा उसके उपभोग के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारी के लेखे-बही खाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/ परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र मदवार निर्धारित प्रारूप पर शासन को वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपलब्ध कराया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,50,00,000 (रुपये छः करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 016 **लेखा शीर्षक** 2404001020305 सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राम सहाय यादव
विशेष सचिव।

संख्या- 30 /2026/ 753(1) /001-53-2099-1405-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज।
3- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, लखनऊ।
4- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
6- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- वित्त (व्यंय-नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- वेबमास्टडर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें ।
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
रामबूझ
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।